निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 396) पटना, वृहस्पतिवार, 26 मार्च 2015

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

19 मार्च, 2015

सं0 वि.प.वि.-17/2015-640(3)वि.प.—बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 273(4) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली में किए गए निम्नलिखित संशोधन सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

संशोधन

1. नियमावली के नियम 1. 2. में निम्नवत् अंत:स्थापित हो '' 'ब्यूरो सचिव' का तात्पर्य राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो में ब्यूरो सचिव के पद पर पूर्णकालिक रूप से प्रतिनियुक्त परिषद् के उप-सचिव से है और इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो उस समय ब्यूरो सचिव के कर्तव्यों का पालन कर रहा हो''
2. नियमावली के नियम 32 का शीर्षक ''सदस्यों के गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति'' निम्नवत् प्रतिस्थापित हो – ''गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति''
3. नियमावली के नियम 32(1) की प्रथम पंक्ति में शब्द ''सदस्यों के गैर सरकारी'' निम्नवत् प्रतिस्थापित हों- ''गैर सरकारी सदस्यों के''
4. नियमावली के अध्याय 12 में शीर्षक ''प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न होने वाले विषयों पर आधे घंटे का विचार विमर्श'' विलोपित हो
5. नियमावली के नियम 101 के अंक ''101'' के स्थान पर अंक एवं कोष्ठक ''101(क)'' प्रतिस्थापित हो एवं इस नियम की प्रथम पंक्ति में शब्द ''पर'' के पश्चात् एवं ''विचार'' के पूर्व शब्द ''आधे घंटे का'' स्थापित हों

6. नियमावली में नियम 101(क) के पश्चात् एक नया नियम 101(ख) निम्नवत् स्थापित हो- ''101(ख) प्रश्नों की सूचना देने और प्रश्न करने तथा उनका उत्तर देने की रीति परिशिष्ट 1 में यथाविहित, सभापति द्वारा बनाये गये अनुदेश के अनुसार अवधारित होगी।'' तत्पश्चात् अनुदेश ''परिशिष्ट 1'' के रूप में यथास्थापित हो

7. नियमावली के नियम 247 में अंक ''247'' के स्थान पर अंक एवं कोष्ठक ''247(1)'' प्रतिस्थापित हो एवं नियम ''247(1)'' के पश्चात् एक नया उपनियम 247(2) निम्नवत् स्थापित हो- ''247(2)- समिति को सौंपे जाने के बाद विशेषाधिकार वाद का निष्पादन परिशिष्ट 2 में यथाविहित, सभापति द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार होगा।'' तत्पश्चात् निर्देश ''परिशिष्ट 2'' के रूप में यथास्थापित हो

8. नियमावली के अध्याय 25 में शीर्षक, नियम 251 की प्रथम तथा द्वितीय पंक्ति एवं नियम 251(क) की प्रथम पंक्ति में शब्दों ''ग्रन्थागार'' के स्थान पर शब्द ''पुस्तकालय'' प्रतिस्थापित हों

9. नियमावली के नियम 283(छ)(1) का उपनियम 5. 3. संपूर्ण रूप से निम्नवत् प्रतिस्थापित हो- ''सदस्यों के शील विरुद्ध आचरण और अन्य दुराचरणों की जांच के संबंध में समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसा कि परिशिष्ट 7 में समिति को सौंपे जाने के बाद आचार वाद के निष्पादन के संबंध में सभापति द्वारा दिए गए निर्देश में यथाविहित है।'' तत्पश्चात् निर्देश ''परिशिष्ट 7'' के रूप में स्थापित हो

10. नियमावली के नियम 283(छ)(1)5.2.(क) में टिप्पणी (1) की द्वितीय पंक्ति में अंक ''4'' के स्थान पर अंक ''6'' प्रतिस्थापित हो

11. नियमावली के नियम 283(छ)(1) 5. के उपनियम 4. के स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित हो- ''4(क)- **प्रतिवेदन का उपस्थापन**-आचार समिति का प्रतिवेदन सदन के सामने समिति के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जाएगा'' तत्पश्चात् एक नया उपनियम 4.(ख) निम्नवत् स्थापित हो-

''4.(ख) प्रतिवेदन पर विचार-(1.) प्रतिवेदन उपस्थापित किए जाने के बाद, समिति के अध्यक्ष या उसके कोई सदस्य या सदन का कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि प्रतिवेदन पर विचार हो और तब सभापति सदन के समक्ष प्रश्न रख सकते हैं;

परन्तु सदन में प्रश्न रखने के पूर्व सभापति वाद-विवाद की अनुमति दे सकते हैं जिसकी अवधि आधे घंटे से अधिक की नहीं होगी और ऐसे वाद-विवाद में प्रतिवेदन के विवरणों का निर्देश उतना ही किया जाएगा जितना सदन द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के पक्ष को प्रबल बनाने के लिए आवश्यक हो।

(2) उप नियम (1) के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद, समिति के अध्यक्ष या उसके कोई सदस्य या सदन का अन्य कोई सदस्य, यथास्थिति, प्रस्ताव कर सकता है कि सदन प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों से सहमत है या असहमत है या संशोधनों के साथ सहमत है।''

12. नियमावली के नियम 283(छ)(1) 5. के उप नियम ''5.'' के स्थान पर ''5.(1)'' प्रतिस्थापित हो एवं तत्पश्चात् एक नया उप नियम ''5.(2)'' निम्नवत् स्थापित हो- ''5.(2)-सदस्यों के लिए आचार समिति द्वारा निर्मित आचार संहिता परिशिष्ट 8 में यथा विहित लागू होंगे।''

13. नियमावली के नियम 283(ज) 4.II की प्रथम पंक्ति में शब्द ''जिसकी'' एवं शब्द 'प्रतिनियुक्ति'' के मध्य में शब्द ''पूर्णकालिक'' स्थापित हो

14. नियमावली के नियम 283(ज)6. की द्वितीय पंक्ति में अंक ''3'' के स्थान पर अंक ''5'' प्रतिस्थापित हो

15. नियमावली के नियम ''283(क)'', ''283(ख)'', ''283(ग)'', ''283(घ)'', ''283(च)'', ''283(छ)'', ''283(छ)(1)'', ''283(ज)'', ''284'', ''285'', ''286'', ''287'' एवं ''288'' क्रमश: अंक ''284'',

''285'', ''286'', ''287'', ''288'', ''289'', ''290'', ''291'', ''292'', ''293'', ''294'', ''295'' एवं ''296'' से पुनर्संख्यांकित तथा पृथक अध्यायों के अधीन क्रमश: ''अध्याय 30'', ''अध्याय 31'', ''अध्याय 32'', ''अध्याय 33'', ''अध्याय 34'', ''अध्याय 35'', ''अध्याय 36'' एवं ''अध्याय 37'' से संख्यांकित हों, तद्नुसार पूर्व का ''अध्याय 30'' ''अध्याय 38'' से पुनर्संख्यांकित हो

16. नियमावली की चतुर्थ अनुसूची एवं परिशिष्ट 1 में यथास्थान उल्लिखित शब्दों ''ग्रंथागार'' के स्थान पर शब्द ''पुस्तकालय'' प्रतिस्थापित हों

17. परिशिष्ट निम्नवत् पुनर्संख्यांकित तथा अवधारित हों-

परिशिष्ट 1 – प्रश्नों की सूचना देने और प्रश्न करने तथा उनका उत्तर देने की रीति अवधारित करने के लिए सभापति द्वारा बनाए गए अनुदेश

परिशिष्ट 2 – समिति को सौंपे जाने के बाद विशेषाधिकार वाद के निष्पादन के संबंध में सभापति द्वारा दिया गया निदेश

परिशिष्ट 3 – बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय से पुस्तक लेने की मांग-पुस्तिका का प्रारूप

परिशिष्ट 4 – अनुच्छेद 208 के खण्ड (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा निर्मित राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के बीच परस्पर संचार संबंधी प्रक्रिया की नियमावली

परिशिष्ट 5 – राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो

परिशिष्ट 6 – आचार समिति के समक्ष किए जाने वाले विशिष्ट अनुरोध/शिकायत का प्रपत्र

आदेश से,
शेखर प्रबल,
कार्यकारी सचिव,
बिहार विधान परिषद्।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 396-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in